न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 305 / 2016

उनवान

1. कैलाश चन्द्र पुत्र जमनालाल महाजन निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. सुरेश चन्द्र पुत्र जमनालाल महाजन निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. अशोक कुमार पुत्र जमनालाल महाजन निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
4. गोपाल लाल पुत्र जमनालाल महाजन निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
5. श्रीमती पार्वती देवी पत्नी जमनालाल महाजन निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. मदन लाल पुत्र भूरा लाल माली निवासी मंगलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
2. बालकिशन पुत्र जमना लाल महाजन निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हमीरगढ जिला भीलवाडा
4. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील विरूद्व आदेश सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), भीलवाडा के प्रकरण संख्या 407 / 2013 निर्णय दिनांक 6.6.2016

अभिभाषक : 1. श्री अशोक गट्याणी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
3. प्रत्यर्थी संख्या 1 अनुपस्थित
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 17.5.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप तहसील हमीरगढ में विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 के संयुक्त खातेदारी हक की आराजी नम्बर 2178 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 2179 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 2182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 2187/2 रकबा 2 बीघा, आराजी नम्बर 4154/2151 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजी में विपक्षी संख्या 1 का 1/6 हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 से उसका 1/6 हक हिस्सा दिनांक 12.6.2013 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त की व विक्रय पत्र उपपंजीयक , हमीरगढ के यहॉ पंजीयन कराया तथा क्रय की दिनांक से निरन्तर उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का को प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण खोलने का निवेदन किया तो पटवार हल्का द्वारा यह कहकर इंकार किया जाता रहा है कि विपक्षीगण के आपसी पारिवारिक मामला है इसलिए नामान्तरकरण खोल देंगे। चूंकि उक्त क्रय सुदा आराजी वर्तमान में भी विपक्षी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है इसलिए विपक्षी संख्या एक के मन में फितुर पैदा हो गया व विपक्षी संख्या 1 अन्य विपक्षीगण के साथ मिलकर प्रार्थी को उक्त आराजियात से आये दिन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बेदखल करने का प्रयास करने लगे गया । दिनांक 23.10. 2013 को प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात पर ही था तब विपक्षी संख्या 2 से 6 मौके पर आये एव वं प्रार्थी को जबरन बेदखल करने लगें एवं धमकी दी कि उक्त भूमि विपक्षीगण के नाम पर दर्ज है इस कारण प्रार्थी को बेदखल करके रहेंगें व उक्त भूमि अन्य को बेच देंगें व आराजियात को खुर्द बुर्द कर देंगें। ऐसी स्थिति में प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात में से दिनांक 12 जून 2013 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से जो भूमि 1/6 हिस्से तक विपक्षी संख्या 1 विक्रेता का नाम हटवाकर अपने नाम खातेदारी से दर्ज कराने का अधिकारी है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है । इस कारण प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वे जबरन शक्ति के बल पर प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें व प्रार्थी को उक्त आराजियात का शांतिपूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवें व किसी प्रकार की बाधा व रूकावट पैदा नहीं करें व न ही किसी अन्य से करावें व विपक्षी संख्या 7 व 8 राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन एवं पंजीयन न करें।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकतरफा की बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.6.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प कोर्ट व लोक अदालत मंगरोप में पारित किया गया था एवं प्रकरण को लोक अदालत कैम्प मंगरोप में रखे जाने की अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण अपीलार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । अपीलार्थीगण अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। अपीलाधीन निर्णय एकतरफा पारित किया गया है। प्रार्थीगण पेशी पर उपस्थित हुए तब अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। तब निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया ।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत किया । प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र की प्रस्तुती दिनांक 25.10.2013 को प्रथम पेशी पर ही एकतरफा राजस्व रेकार्ड में मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित कर दिया गया एवं अपीलार्थीगण/विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया । अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए । अधीनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने से पत्रावली में तारीखें बदली जाती रही एवं आगामी तारीख दी जाती रही थी। उपखण्ड अधिकारी व पदेन सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) भीलवाडा द्वारा उक्त पत्रावली को दिनांक 6.6.2016 को लोक अदालत मंगरोप केम्प में रखी गई। उक्त पत्रावली

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को सुनवाई हेतु केम्प कोर्ट मंगरोप में रखे जाने की कोई सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में दिनांक 6.6.2016 को केम्प कोर्ट में अपीलार्थीगण व रेस्पोडेण्ट उपस्थित नहीं हुए । बिना किसी पक्षकार को सुने दिनांक 25.10.2013 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निर्णय तक लगाई जाने का आदेश पारित करते हुए पत्रावली को फैसल कर दिया।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण/विपक्षीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में विधि विरूद्ध जाकर प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत विधि की सरासर अवहेलना करते हुए आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे।

7. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 25.10.2013 को राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाऐ रखने का आदेश पारित किया गया एवं विपक्षीगण को नोटिस जारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किये जाने का निर्देश दिया गया । जिस पर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। उसके उपरान्त पेशी दिनांक 20.11. 2013, 17.1.2014, 19.2.2014, पर पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण के कारण पत्रावली मे कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 5.3.2014 को जिला कलक्टर, भीलवाडा के आदेश पर प्रकरण को न्यायालय ए सी ई एम भीलवाडा में स्थानान्तरण किया गया । उसके पश्चात दिनांक 19.3.2014 को पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण एवं उसके पश्चात 12.5.2014, से दिनांक 30.3.2016 तक पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त अवधि में पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त रहे एवं पत्रावली में उभयपक्ष की उपस्थिति अंकित की जाती रहीं। दिनांक 30.3. 2016 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.6.2016 नियत की गई । उक्त तारीख पेशी 22.6.2016 से पूर्व प्रकरण को दिनांक 6.6.2016 को कोर्ट केम्प मंगरोप में रखा गया । जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को दी गई हो इस बाबत पत्रावली में नोटिस भी उपलब्ध नहीं है । जबकि प्रकरण को लोक अदालत केम्प में रखने की सूचना न्यायालय हाजा को पक्षकारान को दी जानी चाहिये थी एवं लोक अदालत में पक्षकारान की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर अथवा राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन मामले में लोक अदालत केम्प कोर्ट, मंगरोप में प्रकरण रखे जाने बाबत पक्षकारान को कोई सूचना नहीं दी एवं पक्षकारान की उपस्थिति केम्प कोर्ट हेतु सुनिश्चित नहीं की गई । पक्षकारान को सुने बिना ही एवं अपीलार्थीगण/विपक्षीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पालना नहीं की जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

9. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6.6.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दोनों पक्षकारान को अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करके ही आदेश पारित किया जावे । उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.7.18 को उपस्थित रहें।

10. निर्णय आज दिनांक 17.5.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया । 17/5/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी